



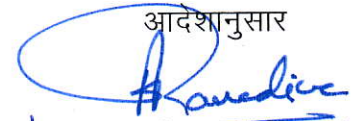
क्रमांक 393 / बै.प्र. / कार्यपरिषद् / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 07.03.2025

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, संशोधित परिनियम 11(1)(vi) के प्रावधानानुसार कुलपति महोदय द्वारा प्रो० एम.एन. त्रिपाठी, आचार्य, अधिष्ठाता-विधि विद्यापीठ के स्थान पर प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य, अधिष्ठाता-इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी विद्यापीठ को कार्यपरिषद् में सदस्य नामांकित किया गया है।

कार्यपरिषद् में सदस्य के रूप में प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य, इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कार्यकाल इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी विद्यापीठ के अधिष्ठाता के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 394 / बै.प्र. / कार्यपरिषद् / 2025

बिलासपुर दिनांक 07.03.2025

प्रतिलिपि :-

- 1) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2) कुलपति के सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) संयुक्त सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 4) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
- 5) संबंधितों की ओर सूचनार्थ।
- 6) प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबपटल/निदेशक, आईक्यूएसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)